

**वित्त मंत्रालय**  
**मांग संख्या 33**  
**करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	-0.15	-0.15	...	-238.11	-238.11	...	-76.09	-76.09	
पूंजी	...	232.09	232.09	...	239.52	239.52	...	181.69	181.69	
जोड़	...	231.94	231.94	...	1.41	1.41	...	105.60	105.60	
<b>करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल</b>										
<b>1. करेंसी नोट मुद्रणालय</b>										
1.01 राजस्व व्यय	2046	...	201.03	201.03	...	190.41	190.41	...	247.88	247.88
1.02 घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	0046	...	-328.30	-328.30	...	-360.65	-360.65	...	-370.00	-370.00
1.03 निवल	...	-127.27	-127.27	...	-170.24	-170.24	...	-122.12	-122.12	
1.04 पूंजीगत व्यय	4046	...	9.00	9.00	...	8.00	8.00	...	9.00	9.00
<b>2. बैंक नोट मुद्रणालय</b>										
2.01 राजस्व व्यय	2046	...	239.47	239.47	...	236.51	236.51	...	319.68	319.68
2.02 घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	0046	...	-300.00	-300.00	...	-350.00	-350.00	...	-350.00	-350.00
2.03 निवल	...	...	-60.53	-60.53	...	-113.49	-113.49	...	-30.32	-30.32
2.04 पूंजीगत व्यय	4046	...	31.00	31.00	...	3.63	3.63	...	15.70	15.70
<b>3. प्रतिभूति कागज कारखाना</b>										
3.01 राजस्व व्यय	2046	...	104.99	104.99	...	96.45	96.45	...	116.36	116.36
3.02 घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	0046	...	-103.30	-103.30	...	-108.98	-108.98	...	-151.53	-151.53
3.03 निवल	...	...	1.69	1.69	...	-12.53	-12.53	...	-35.17	-35.17
3.04 पूंजीगत व्यय	4046	...	8.94	8.94	...	5.71	5.71	...	8.96	8.96
<b>4. टकसाल</b>										
	2046	...	133.93	133.93	...	122.53	122.53	...	134.69	134.69
	4046	...	12.62	12.62	...	6.68	6.68	...	12.30	12.30
	जोड़	...	146.55	146.55	...	129.21	129.21	...	146.99	146.99
5. धातुओं की खरीद	4046	...	141.30	141.30	...	184.70	184.70	...	100.30	100.30
<b>6. स्वर्ण और चांदी की खरीद</b>										
6.01 अन्य	4046	...	0.23	0.23	...	0.30	0.30	...	0.23	0.23
7. चलन से वापस लिए गए सिक्कों को नष्ट करने पर हुई हानि	2046	...	3.90	3.90	...	1.40	1.40	...	1.70	1.70
अन्य राजकोषीय सेवाएं										
<b>8. भारत प्रतिभूति मुद्रणालय</b>										
8.01 राजस्व व्यय	2047	...	207.04	207.04	...	197.64	197.64	...	230.84	230.84
8.02 घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	0047	...	-165.00	-165.00	...	-272.00	-272.00	...	-288.00	-288.00
8.03 निवल	...	...	42.04	42.04	...	-74.36	-74.36	...	-57.16	-57.16
8.04 पूंजीगत व्यय	4047	...	14.00	14.00	...	14.00	14.00	...	16.50	16.50
<b>9. प्रतिभूति मुद्रणालय</b>										
9.01 राजस्व व्यय	2047	...	36.91	36.91	...	38.47	38.47	...	60.33	60.33
9.02 घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	0047	...	-38.00	-38.00	...	-38.00	-38.00	...	-38.00	-38.00
9.03 निवल	...	...	-1.09	-1.09	...	0.47	0.47	...	22.33	22.33
9.04 पूंजीगत व्यय	4047	...	15.00	15.00	...	16.50	16.50	...	18.70	18.70
10. अन्य व्यय	2047	...	7.18	7.18	...	8.11	8.11	...	9.96	9.96
<b>कुल जोड़</b>		...	<b>231.94</b>	<b>231.94</b>	...	<b>1.41</b>	<b>1.41</b>	...	<b>105.60</b>	<b>105.60</b>

1. करेंसी नोट मुद्रणालय, नासिक, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए 10 रुपए, 50 रुपए तथा 100 रुपए के मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का मुद्रण करता है तथा उनकी आपूर्ति करता है।

पूंजी के अंतर्गत यह प्रावधान विशेष वैगनों, मशीनों आदि की खरीद तथा निर्माण कार्य आदि हेतु है।

2. बैंक नोट मुद्रणालय, देवास 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तथा 500 रुपए के मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का मुद्रण करता है। मुद्रणालय अपनी आवश्यकता के साथ-साथ भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, करेंसी नोट मुद्रणालय तथा प्रतिभूति मुद्रणालय की आवश्यकता को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए स्याही का निर्माण भी करता है।

पूंजी के अंतर्गत यह प्रावधान मशीनरी की खरीद तथा निर्माण कार्यों के लिए है।

3. प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद, करेंसी और बैंक नोट कागजों तथा स्टाम्प कागजों का विनिर्माण करता है। इस कारखाने को यू.के. के मैसर्स पोर्टल के सहयोग से स्थापित किया गया था तथा इसे जून, 1967 में आरंभ किया गया था। इस कारखाने का लक्ष्य देश को प्रतिभूति कागज की आवश्यकता के प्रति आत्मनिर्भर बनाना था।

पूंजी के अंतर्गत यह प्रावधान संयंत्र तथा मशीनरी की अधिप्राप्ति और निर्माण कार्य आदि के लिए है।

4. मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा स्थित भारत सरकार की

टकसालें भारत सरकार के लिए सिक्कों की ढलाई करने के अतिरिक्त, चलन से बाहर निकाले गए सिक्कों का परीक्षण करती हैं तथा इन को समाप्त करती हैं तथा जाली और संदिग्ध सिक्कों के बारे में अपनी विशेषज्ञ राय देती हैं। ये सरकार के विभिन्न विभागों तथा विश्वविद्यालयों जैसी अन्य संस्थाओं के लिए मैडलों का निर्माण भी करती हैं। मुम्बई तथा कोलकाता टकसालों के साथ संबद्ध धातु परख विभाग सिक्कों, मैडलों, बैजों आदि के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सोने, चांदी तथा मिश्रित धातुओं की परख करता है। मुम्बई की टकसाल स्मारक सिक्कों की ढलाई करती है तथा तोल, परिमाण और लम्बाई आदि के मापकों का निर्माण करती है। यह सोने को पिघलाने, उसकी सफाई करने तथा ढलाई का कार्य भी करती है।

यह प्रावधान चार मौजूदा टकसालों के लिए है। पूंजी के अंतर्गत प्रावधान संयंत्र तथा मशीनरी की अधिप्राप्ति तथा निर्माण कार्य आदि के लिए है।

5-6. इसमें सिक्कों के निर्माण के लिए धातु की खरीद, सिक्कों के ब्लैंकों, सिक्कों के आयात और चांदी की खरीद के लिए प्रावधान किया गया है।

7. यह चलन से वापस लिए गए और समाप्त किए गए सिक्कों के अंकित मूल्य तथा उनके धातु मूल्य के अंतर का द्योतक है।

8. भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक, डाक लेखन सामग्री, डाक तथा

डाक-भिन्न टिकटों, न्यायिक तथा गैर-न्यायिक स्टाम्पों, चैकों, बांडों तथा अन्य प्रतिभूति दस्तावेजों जैसे पासपोर्ट, वचनपत्रों इत्यादि का मुद्रण करता है। इसके अलावा मुद्रणालय केन्द्र तथा राज्य सरकारों और अर्द्ध सरकारी संगठनों के लिए प्रतिभूति स्वरूप की अनेक विविध मदों का मुद्रण भी करता है। इस ने भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्र/राज्य सरकारी विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एम.आई.सी.आर. चैकों का मुद्रण भी शुरू कर दिया है।

पूंजी के अंतर्गत यह प्रावधान पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनों की अधिप्राप्ति और उनके सहायक सिविल तथा बिजली निर्माण कार्यों के लिए है।

9. प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद भारत प्रतिभूति मुद्रणालय द्वारा मुद्रित की जाने वाली डाक लेखन सामग्री तथा भारतीय पोस्टल आर्डरों के उत्पादन को अनुपूरित करता है। यह प्रेस 5 रुपए, 3.50 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के मूल्यवर्ग के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर भी छापता है। मुद्रणालय ने वर्ष 1989-90 से 10 रुपए के मूल्य वर्ग के गैर-न्यायिक स्टाम्प कागज छापने का कार्य भी आरम्भ कर दिया है।

पूंजी के अंतर्गत यह प्रावधान निर्माण कार्यों और मशीनरी की अधिप्राप्ति के लिए है।

10. इसमें मुख्य रूप से केन्द्रीय स्टाम्प डिपो के लिए प्रावधान शामिल है।